जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./17/डी– 805 दिनांकः– 1-11-17

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **139वीं बैठक दिनांकः 30.10.2017 को प्रातः 11.00 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		139:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 138वीं बैठक दिनांक 25.09.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 118वीं से 138वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 138वीं बैठक दिनांक 25.09.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 118 से 138 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा अवशेष अनुपालना रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुये त्वरित पालना करने के निर्देश दिये गये।
2.	4	139:2	श्री कल्याण जैम एक्सपोर्टस् लि. को ग्राम मनोहरपुरा तह. सांगानेर के खसरा नं. 164, 165, 184, 185, 186 एवं 186/685 में स्थित 165.62 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि को पूर्व में जविप्रा द्वारा जारी आवासीय पुनर्गठित लीजडीड दिनांक 11.07.16 में सम्मिलित कर संशोधित आवंटन पत्र जारी करने के संबंध में।	एलपीसी की 134वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 134:6 में श्री कल्याण जैम एक्सपोर्टस् लि. को ग्राम मनोहरपुरा के खसरा नं. 165/684 में अतिरिक्त भूमि 165.62 वर्गमीटर को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड मानते हुये आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया था व 100 वर्गगज से अधिक क्षेत्र का प्रकरण होने से राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया था। प्रार्थी ने उक्त भूमि को गृ.नि.स.स. की भूमि मानते हुये प्रचलित नियमन राशि पर नियमन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–4 द्वारा पुनः एजेन्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उक्त भूमि स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की श्रेणी में नहीं आकर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना की बची भूमि है। उक्त भूमि को सम्मिलित करने पर नन्द विहार योजना के कुल क्षेत्रफल से अधिक नहीं होती है। अतः उपायुवत द्वारा योजना की नियमन दर पर नियमन/आवंटन करने की अभिशंषा की है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी की 134वीं बैठक में लिये गये निर्णय को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।
3.	4	139:3	मैसर्स रूबी बिल्डकोन प्रा. लि. को ग्राम मनोहरपुरा तह. सांगानेर के खसरा नं. 164, 185, 186, 185/684 में स्थित 236.12 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि को पूर्व में जविप्रा द्वारा जारी आवासीय पुनर्गठित लीजडीड दिनांक 13.09.06 में सम्मिलित कर संशोधित आवंटन पत्र जारी करने के संबंध में।	एलपीसी की 134वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 134:6 में मैसर्स रूबी बिल्डकॉन प्रा.लि. को ग्राम मनोहरपुरा के खसरा नं. 165/684 में अतिरिक्त भूमि 236.12 वर्गमीटर को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड मानते हुये आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया था व 100 वर्गगज से अधिक क्षेत्र का प्रकरण होने से राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय भी लिया गया था। प्रार्थी ने उक्त भूमि को गृ.नि.स.स. की भूमि मानते हुये प्रचलित नियमन राशि पर नियमन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–4 द्वारा पुनः एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उक्त भूमि स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की श्रेणी में नहीं आकर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना की बची भूमि है। उक्त भूमि को सम्मिलित करने पर नन्द विहार योजना के कुल क्षेत्रफल से अधिक नहीं होती है। अतः उपायुक्त द्वारा योजना की नियमन दर पर नियमन/आवंटन करने की अभिशंषा की है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी की 134वीं बैठक में लिये गये निर्णय को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

माननीय आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4.	4	139:4	मैसर्स रूबी बिल्डकोन प्रा. लि. को ग्राम मनोहरपुरा तह. सांगानेर के खसरा नं. 164, 165, 185, 186 में स्थित 246.26 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि को पूर्व में जविप्रा द्वारा जारी आवासीय पुनर्गठित लीजडीड दिनांक 08.09.09 में सम्मिलित कर संशोधित आवंटन पत्र जारी करने के संबंध में।	एलपीसी की 134वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 134:6 में मैसर्स रूबी बिल्डकॉन प्रा.लि. को ग्राम मनोहरपुरा के खसरा नं. 165 व 165/684 में अतिरिक्त भूमि 246.62 वर्गमीटर को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड मानते हुये आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया था व 100 वर्गगज से अधिक क्षेत्र का प्रकरण होने से राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय भी लिया गया था। प्रार्थी ने उक्त भूमि को गृ.नि.स.स. की भूमि मानते हुये प्रचलित नियमन राशि पर नियमन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–4 द्वारा पुनः एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उक्त भूमि स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की श्रेणी में नहीं आकर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना की बची भूमि है। उक्त भूमि को सम्मिलित करने पर नन्द विहार योजना के कुल क्षेत्रफल से अधिक नहीं होती है। अतः उपायुक्त द्वारा योजना की नियमन दर पर नियमन/आवंटन करने की अभिशंषा की है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी की 134वीं बैठक में लिये गये निर्णय को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।
5.	9	139:5	श्री लक्ष्मी नारायण टेलर पुत्र श्री छगन लाल टेलर को भूखण्ड संख्या डी–343 योजना महल क्षेत्रफल 45.00 वर्गमीटर के विनिमय में भूखण्ड देने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण टेलर पुत्र श्री छगन लाल टेलर को भूखण्ड संख्या डी–343 योजना महल क्षेत्रफल 45.00 वर्गमीटर के बदले भूखण्ड संख्या एफ–165 क्षेत्रफल 45.00 वर्गमीटर एवं एफ–168 (कॉर्नर) क्षेत्रफल 52.90 वर्गमीटर में से एक विनिमय करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा आवंटी को आवंटित भूखण्ड संख्या डी–343 का सृजित ब्लॉक विलोपित हो जाने के कारण विनिमय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उक्त ब्लॉक में 17 भूखण्ड थे, जिसमें से 10 भूखण्डधारियों को पूर्व में भूखण्ड का विनिमय किया जा चुका है, शेष 7 में से 4 भूखण्ड लॉटरी में नहीं डाले गये तथा 1 भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया जा चुका है शेष दो भूखण्डधारियों के भूखण्ड संख्या डी–343 व डी–358 को भूखण्ड दिया जाना शेष है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या डी–343 व डी–358 के स्थान पर भूखण्ड संख्या एफ–165 क्षेत्रफल 45.00 वर्गमीटर एवं एफ–168 (कॉर्नर) क्षेत्रफल 52.90 वर्गमीटर में से एक–एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया। कॉर्नर भूखण्ड के आवंटी से नियमानुसार कॉर्नर चार्जेज वसूल किये जावे।
6.	9	139:6	श्री टीकम चन्द पुत्र श्री हीरालाल को भूखण्ड संख्या डी–358 योजना महल क्षेत्रफल 45.00 वर्गमीटर के बदले भूखण्ड संख्या एफ–165 क्षेत्रफल 45.00 वर्गमीटर के विनिमय में भूखण्ड देने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा श्री टीकम चन्द पुत्र श्री हीरालाल को भूखण्ड संख्या डी–358 योजना महल क्षेत्रफल 45.00 वर्गमीटर के बदले भूखण्ड संख्या एफ–165 क्षेत्रफल 45.00 वर्गमीटर एवं एफ–168 (कॉर्नर) क्षेत्रफल 52.90 वर्गमीटर में से एक विनिमय करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा आवंटी को आवंटित भूखण्ड संख्या डी–343 का सृजित ब्लॉक विलोपित हो जाने के कारण विनिमय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उक्त ब्लॉक में 17 भूखण्ड थे, जिसमें से 10 भूखण्डधारियों को पूर्व में भूखण्ड का विनिमय किया जा चुका है, शेष 7 में से 4 भूखण्ड लॉटरी में नहीं डाले गये तथा 1 भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया जा चुका है शेष दो भूखण्डधारियों के भूखण्ड संख्या डी–343 व डी–358 को भूखण्ड दिया जाना शेष है। प्रस्ताव संख्या 139:5 के अनुसार कार्यवाही की जावे।

[illegible] (एल.पी.सी.)
जयपुर [illegible], जयपुर

7.	9	139:7	श्री खण्डेलवाल वैश्य जाग्रति मण्डल समिति, प्रताप नगर को समाज सेवा हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
8.	11	139:8	श्रीमती मीता माहेश्वरी पत्नी श्री सतीश कुमार माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या 51 का आवंटित क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 5 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्रीमती मीता माहेश्वरी पत्नी श्री सतीश कुमार माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या 51 क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 5 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सेज पुनर्वास योजना के नॉन कॉर्नर भूखण्डों में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। अतः नॉन कॉर्नर भूखण्डों में भी कॉर्नर भूखण्डों की भांति कार्यवाही किया जाना उचित मानते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 51 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 5 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
9.	11	139:9	श्रीमती मीता माहेश्वरी पत्नी श्री सतीश कुमार माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या ए–518 का आवंटित क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 4.75 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्रीमती मीता माहेश्वरी पत्नी श्री सतीश कुमार माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या ए–518 क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 4.75 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सेज पुनर्वास योजना के नॉन कॉर्नर भूखण्डों में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। अतः नॉन कॉर्नर भूखण्डों में भी कॉर्नर भूखण्डों की भांति कार्यवाही किया जाना उचित मानते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या ए–518 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 4.75 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
10.	11	139:10	श्री जयवीर पुत्र श्री रूपचन्द चमार को सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 594 का आवंटित क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 108.72 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्री जयवीर पुत्र श्री रूपचन्द चमार को सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 594 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 108.72 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। उपायुक्त द्वारा बैठक के दौरान बताया गया कि उक्त बढा हुआ क्षेत्रफल स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की श्रेणी में नहीं आता है। बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सेज पुनर्वास योजना के नॉन कॉर्नर भूखण्डों में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। अतः नॉन कॉर्नर भूखण्डों में भी कॉर्नर भूखण्डों की भांति कार्यवाही किया जाना उचित मानते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 594 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 108.72 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
11.	11	139:11	श्री जयवीर पुत्र श्री रूपचन्द चमार को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा के	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्री जयवीर पुत्र श्री रूपचन्द चमार को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 103 क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर का

			आवासीय भूखण्ड संख्या 613 में बढ़े हुए क्षेत्रफल 84.64 वर्गमीटर एवं सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 108 में बढ़े हुए क्षेत्रफल 29 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 29 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। सेज पुनर्वास योजना के नॉन कॉर्नर भूखण्डों में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। अतः नॉन कॉर्नर भूखण्डों में भी कॉर्नर भूखण्डों की भांति कार्यवाही किया जाना उचित मानते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 108 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 29 वर्गमीटर योजना की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्री जयवीर पुत्र श्री रूपचन्द चमार को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा के आवासीय भूखण्ड संख्या 613 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 84.64 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सेज पुनर्वास योजना के नॉन कॉर्नर भूखण्डों में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। अतः नॉन कॉर्नर भूखण्डों में भी कॉर्नर भूखण्डों की भांति कार्यवाही किया जाना उचित मानते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 613 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 84.64 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
12.	11	139:12	श्री समर सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह चौहान को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के आवासीय भूखण्ड संख्या 489–सी का आवंटित क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर (कॉर्नर) का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 34 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्री समर सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह चौहान को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के आवासीय भूखण्ड संख्या 489–सी क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर (कॉर्नर) का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 34 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। प्रकरण में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल मूल भूखण्ड का लगभग 70 प्रतिशत है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि समान माप व समान चौडाई की सड़क पर अन्य भूखण्ड चिन्हित कर विनिमय हेतु प्रस्तावित करें।
13.	11	139:13	श्रीमती संतोष माहेश्वरी पत्नी श्री रामदास माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम खटवाडां के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 230–सी का आवंटित क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्रीमती संतोष माहेश्वरी पत्नी श्री रामदास माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम खटवाडा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 230–सी क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 40 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सेज पुनर्वास योजना के नॉन कॉर्नर भूखण्डों में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। अतः नॉन कॉर्नर भूखण्डों में भी कॉर्नर भूखण्डों की भांति कार्यवाही किया जाना उचित मानते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 230–सी में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर योजना की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
14.	11	139:14	श्री गणपत सिंह, कालू सिंह पुत्रान श्री नन्द सिंह को सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्री गणपत सिंह, कालू सिंह पुत्रान श्री नन्द सिंह को सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 226 क्षेत्रफल 600

उप आयुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण,

			के आवासीय भूखण्ड संख्या 226 का आवंटित क्षेत्रफल 600 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार 46.50 वर्गमीटर क्षेत्रफल कम होने के कारण न्यूनतम क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित किया गया था। उक्त भूखण्ड की मौका रिपोर्ट अनुसार 46.50 वर्गमीटर क्षेत्रफल कम उपलब्ध हो रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि व पूर्व में शेष रही 20 वर्गमीटर कुल 66.50 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया जा रहा है। उपायुक्त द्वारा न्यूनतम सृजित भूखंण्ड 50 वर्गमीटर का आवंटन करने व 3.50 वर्गमीटर भूमि जविप्रा की कीमतन शामिल करते हुये 50 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 226 में कम रहे क्षेत्रफल 46.50 वर्गमीटर का समायोजन करते हुये योजना में उपलब्ध नॉन कॉर्नर भूखण्डों में से एक नॉन कॉर्नर 50 वर्गमीटर का भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा अधिक भूमि 3.50 वर्गमीटर की राशि योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर से वसूल की जावे।
15.	11	139:15	श्रीमती सुनीता माथुर पत्नी श्री एच.सी. माथुर को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के आवासीय भूखण्ड संख्या 1442 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर के स्थान पर अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	श्रीमती सुनीता माथुर पत्नी श्री एच.सी. माथुर को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा में आवासीय भूखण्ड संख्या 1442 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड 900 वर्गमीटर के ब्लॉक में ही स्थित है। जिसे सहवन से 1250 वर्गमीटर की लॉटरी में शामिल कर लिया गया। सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा में 1250 वर्गमीटर भूमि का कोई भूखण्ड रिक्त नहीं है। अतः उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड के स्थान पर नजदीकी पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया/बगरूखुर्द (राजदरबार) में समान चौडाई की सडक पर स्थित भूखण्ड संख्या 5 व 7 में से एक भूखण्ड के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या 5 अनुमोदित क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर से क्षेत्रफल 81.25 वर्गमीटर व भूखण्ड संख्या 7 अनुमोदित क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर से 21.25 वर्गमीटर बढ़ रहा है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर सेज पुनर्वास योजना पालडी परसा के भूखण्ड संख्या 1442 के स्थान पर सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया/बगरूखुर्द (राजदरबार) में समान चौडाई की सडक के भूखण्ड संख्या 5 व 7 में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया। आवंटी से अधिक भूमि की राशि वर्तमान आवासीय आरक्षित दर से वसूल की जावे। साथ ही उपायुक्त को यह भी निर्देशित किया गया कि जिस कार्मिक से गलती हुई है, उसकी जिम्मेदारी निर्धारित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
16.	11	139:16	श्रीमती अनुराधा अग्रवाल पत्नी श्री मनोज कुमार अग्रवाल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा के आवासीय भूखण्ड संख्या 174 का आवंटित क्षेत्रफल 375 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 33.75 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन-11 द्वारा श्रीमती अनुराधा अग्रवाल पत्नी श्री मनोज कुमार अग्रवाल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा के आवासीय भूखण्ड संख्या 174 क्षेत्रफल 375 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 33.75 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सेज पुनर्वास योजना के नॉन कॉर्नर भूखण्डों में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। अतः नॉन कॉर्नर भूखण्डों में भी कॉर्नर भूखण्डों की भांति कार्यवाही किया जाना उचित मानते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 174 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 33.75 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का

प्रति० आयुक्त (एल.पा.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				निर्णय लिया गया।
17.	12	139:17	श्री मनोज कुमार शर्मा को भूखण्ड संख्या बी–161 रघुनाथ विहार के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि रघुनाथ विहार के भूखण्ड संख्या बी–161 का आवंटन श्री गोवर्धन सिंह को किया गया था। किन्तु सहवन से उक्त भूखण्ड पुनः लॉटरी में चले जाने से श्री मनोज कुमार शर्मा को आवंटन हो गया। अतः उपायुक्त द्वारा रघुनाथ विहार योजना के भूखण्ड संख्या बी–161 का आवंटन निरस्त करते हुये योजना में समान क्षेत्रफल व समान चौडाई की सड़क पर उपलब्ध भूखण्ड संख्या बी–41, बी–116, बी–120, बी–186, बी–187, बी–220, बी–263, बी–268, बी–277, बी–288, बी–299 व बी–366 में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री मनोज कुमार शर्मा को भूखण्ड संख्या बी–161 के स्थान पर समान क्षेत्रफल व समान चौडाई की सड़क पर उपलब्ध भूखण्ड संख्या बी–41, बी–116, बी–120, बी–186, बी–187, बी–220, बी–263, बी–268, बी–277, बी–288, बी–299 व बी–366 में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
18.	12	139:18	जविप्रा की हाथोज विस्तार समूह आवासीय योजना में श्री जगदीश प्रसाद करनानी पुत्र स्व. श्री रघुमल करनानी को भूखण्ड संख्या डी–70 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि जविप्रा की हाथोज विस्तार समूह आवासीय योजना में श्री जगदीश प्रसाद करनानी पुत्र स्व. श्री रघुमल करनानी को भूखण्ड संख्या डी–70 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। किन्तु उक्त भूखण्ड पर मौके पर अतिक्रमण होने के कारण भौतिक कब्जा नहीं दिया गया। जिसके कारण इस भूखण्ड के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय में दिया जाना प्रस्तावित है। परन्तु प्रश्नगत योजना में कोई भी नॉन कॉर्नर भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने से उपायुक्त द्वारा नीलामी हेतु भेजे गये डी–ब्लॉक के कॉर्नर भूखण्ड संख्या डी–41, डी–53, डी–69, डी–79 डी–104, डी–133 व डी–148 प्रत्येक क्षेत्रफल 157.5 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।
19.	12	139:19	ग्राम पंचायत मण्डा भोपावास, पंचायत समिति झोटवाडा, जिला जयपुर को ग्राम लालपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 866/1 किस्म बंजड–2 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा में से 2000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत मण्डा भोपावास, पंचायत समिति झोटवाडा, जिला जयपुर को ग्राम लालपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 866/1 किस्म बंजड–2 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा में से 2000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 3 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम लालपुरा के खसरा नं. 866/1 में से 2000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। उपायुक्त ग्राम पंचायत को कब्जा देते समय भूमि के Coordinates अंकन करें।
20.	14	139:20	पीरामल फाउण्डेशन फॉर एज्यूकेशन लीडरशिप को पिरामल इंस्टीट्यूट ऑफ	उपायुक्त जोन–14 ने पीरामल फाउण्डेशन फॉर एज्यूकेशन लीडरशिप को पीरामल इंस्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेशन लीडरशिप की स्थापना हेतु नॉलेज सिटी साउथ के भूखण्ड

प्रति० प्राधिकृत (भा.प्र.से.) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

			एज्यूकेशन लीडरशिप की स्थापना हेतु नॉलेज सिटी साउथ के भूखण्ड संख्या यू–5 क्षेत्रफल 12.00 हैक्टेयर भूमि आवंटन किये जाने बाबत।	संख्या यू–5 क्षेत्रफल 12.00 हैक्टेयर भूमि आवंटन किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भूमि का मास्टर विकास योजना–2025 में भू–उपयोग यू–2(HIZ) एवं आंशिक भाग यू–2 (LIZ) दर्शित है। कम्पनी द्वारा 200 करोड रूपये के निवेश से स्कूल ऑफ लीडरशिप की स्थापना हेतु 30 एकड भूमि चाही है। नगरीय विकास विभाग की भूमि आवंटन नीति–2015 में उक्त उद्देश्य व इस हेतु भूमि के मापदण्ड वर्णित नहीं हैं। भूमि आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 8 में वर्णित उद्देश्यों के अतिरिक्त स्टेट एम्पावर्ड कमेटी द्वारा अनुमोदित गतिविधियों के लिए भूमि आवंटन करने व अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नविवि की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्णय लिये जाने का प्रावधान है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर कम्पनी को नॉलेज सिटी (साउथ) में भूखण्ड संख्या यू–5 क्षेत्रफल 12.00 हैक्टेयर को संस्थानिक आरक्षित दर की दुगुनी दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा भूमि आवंटन नीति–2015 के परिशिष्ठ–1 के अनुसार चैक लिस्ट में प्रस्ताव भिजवाया जावें।
21.	PRN (N-II)	139:21	अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड–II (उत्तर), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को रजनी विहार में गणेश नगर योजना के पास सुविधा क्षेत्र में 2142.28 वर्गगज में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–पीआरएन (उत्तर–II) द्वारा अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड–II (उत्तर), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को रजनी विहार में गणेश नगर योजना के पास सुविधा क्षेत्र में 2142.28 वर्गगज में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के बिन्दु संख्या 1 के अनुसरण में विभाग को रजनी विहार में गणेश नगर योजना के पास सुविधा में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

22.	7	139:21(1)	BAPS स्वामीनारायण मंदिर, चित्रकूट को महादेव नगर के भू.सं. 143, 144, 145, 146, 147 व 148 की 1615.33 वर्गमीटर भूमि जविप्रा के कब्जे में लेकर विनिमय में अन्य भूमि देने बाबत।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा BAPS स्वामीनारायण मंदिर, चित्रकूट को महादेव नगर के भू.सं. 143, 144, 145, 146, 147 व 148 की 1615.33 वर्गमीटर भूमि जविप्रा के कब्जे में लेकर विनिमय में चित्रकूट योजना में स्थित पार्क की 1606.15 वर्गमीटर भूमि देने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 26.09.17 से विनिमय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार विनिमय किया जावे। विनिमय से पूर्व उपायुक्त भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव सक्षम समिति की आगामी बैठक में रखें। स्वीकृति के पश्चात् विनिमय पत्र जारी करने की कार्यवाही करें।

उपायुक्त जोन–11 द्वारा बैठक के दौरान बताया गया कि सेज पुनर्वास योजनाओं में मूल आवंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल में मौके पर माप करने पर क्षेत्रफल बढ़ने के कई प्रकरण जोन में लम्बित है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि एलपीसी द्वारा बढ़े हुये क्षेत्रफल के संबंध में लिये गये पूर्व के नीतिगत निर्णयों को अतिलंघित करते हुये मूल भूखण्ड के क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत अथवा 100 वर्गगज तक, जो भी कम हो, के बढ़े हुये क्षेत्रफल के प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण उपायुक्त के स्तर पर किया जावे। इससे अधिक बढ़े क्षेत्रफल के प्रकरणों का निस्तारण भूमि एव सम्पत्ति निस्तारण समिति (एलपीसी) द्वारा किया जावे। उपायुक्त जोन- 11 को निर्देशित किया गया कि सेज एरिया के सभी प्रकरण जो इस समिति के क्षेत्राधिकार के

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

हैं, को एक माह की अवधि में समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। उक्त निर्णय प्राधिकरण क्षेत्र की सभी योजनाओं यथा जविप्रा/निजी खातेदारी/गृ.नि.स.स. की योजनाओं पर लागू होगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1 से 14 व पीआरएन (उत्तर–I/II व दक्षिण–I/II), जविप्रा, जयपुर।
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 139वीं बैठक दिनांक 30.10.2017 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः—

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री वैभव गालरिया, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री एच. गुईटे, सचिव	सदस्य
3.	श्री बृजेश किशोर शर्मा, कार्यवाहक निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
5.	श्री उज्ज्वल राठौड़, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्रीमती साधना शर्मा, प्रतिनिधि निदेशक (नगर आयोजना)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री मनोज कुमार, उपायुक्त जोन–4	विशेष आमंत्रित
8.	डॉ. सत्यप्रकाश कस्वां, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
9.	श्री रामनारायण बड़गुर्जर, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
10.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
11.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
12.	श्री बी0 सी0 गंगवाल, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
13.	श्री ब्रदी नारायण मीना, तहसीलदार जोन–14	विशेष आमंत्रित
14.	श्रीमती उषा जैन, सलाहकार (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित